निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 76/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

प्रेम नारायण पुत्र श्री मदन लाल जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 4477, चौकडी तोपखाना हजूरी रामगंज बाजार, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ललित मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. तेजाराम दत्तक पुत्र चौथूराम
3. ताराचन्द सैनी पुत्र श्री मंगलराम
4. भीमराज सैनी पुत्र श्री मंगलराम
5. अर्जुनजाज सैनी पुत्र श्री मंगलराम
6. रामनारायण सैनी पुत्र श्री मंगलराम
7. सीताराम सैनी पुत्र श्री मंगलराम
8. शैतान पुत्र श्री मंगलराम
9. नानगराम पुत्र किशना
10. बसन्ती पुत्र किशना
11. कमलेश पुत्र किशना

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 143/2024 व टी आई संख्या 113/2024 ब उनवानी कालूराम बनाम गोविन्दा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 143/2024 व टी आई संख्या 113/2024 ब उनवानी कालूराम बनाम गोविन्दा व अन्य विचाराधीन हैं जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नेमचन्द जलवानियां ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीसंख 2 लगायत 13 एक नया वाद कालूराम बनाम गोविन्दा वाद संख्या 143/2024 व टी आई संख्या 13/2024 दिनांक 12.09.2024 को पुनः पेश कर एक पक्षीय स्थगन आदेश से प्रार्थी को पाबन्द कर दिया तथा विधिक स्थिति यह थी कि विवाद ग्रस्त आराजी के संबंध में वाद संख्या 460/2002 व प्रेम नारायण बनाम गुल्ला है जो प्रथम वाद है जिसके विचाराधीन रहते हुये यदि द्वितीय वाद पेश होता है तो उसे प्रथम वाद के साथ कन्सोलिडेट किया जाना चाहिये था। अगर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त कानून कायदों व नियमों को ताक में रखते हुये अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 को नाजायज फायदा पहुंचाने व पुराने वाद को निर्णित नहीं करने के उद्वेश्य से वाद की स्थिति बनाई रखी है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की बेस कीमती आराजी है जिस पर स्थानीय राजनैतिक लोगों की कुदृष्टि है । अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 उक्त स्थानीय नेताओं के सम्पर्क में होने तथा अपने राजनैतिक पहुंच से पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में ले रखा है जिसके कारण पीठासीन अधिकारी नियम कायदो को ताक में रख कर विधि विरूद्व तरीके से कार्यवाही करने पर आमदा है। जब अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 से मिल गये है तो फि प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । उक्त वाद को यदि अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है कोई आपात्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 143/2024 व टी आई संख्या 113/2024 व उनवानी कालूराम बनाम गोविन्दा व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 17.02.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner